

20618

फावली राजस्व लेख अदालत मुम्बई कृष्ण
 में पेश हुई। फावली एवं फावली पर उपलब्ध
 रिपोर्ट का अन्वेषण किया गया। प्रथी सवाद
 तमासा एवं स्याउ निषेधाज्ञा से सम्बन्धित
 है। मूलवाद में निम्नांकित तक्रार पत्रों से
 राजस्व रिपोर्ट एवं सौंके की प्रमाणित
 बनाने शक्य है। अतः निषेधाज्ञा से
 प्रतिबन्धित किया जाना अपाय विरहीत
 है। प्रथी सवाद के अन्तर्गत
 निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है।
 अतः उपलब्ध तक्रार पत्रों से मूलवाद में
 निम्नांकित तक्रार पत्रों से
 निम्नांकित तक्रार पत्रों से
 निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना
 अतः निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना
 अतः निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना

सुर्द स्थित ख.सं. $\frac{168}{1.53}$, $\frac{169}{1.31}$ व सा.क.सं. 170 पृ. 0.68



—Eva/3/18/18
 सहायक कलेक्टर